113

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 708-पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 05-05-2010 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 120/09-10/अपील.

---

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र विजय प्रकाश गुर्जर
2. नवीन पुत्र विजय प्रकाश गुर्जर

निवासीगण-टिमरनी, तहसील-टिमरनी,

जिला हरदा, म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती बृजलता पत्नी रामकृष्ण बलवटे

निवासी टिमरनी, तहसील-टिमरनी, जिला हरदा, म.प्र. .....अनावेदक

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 05-05-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकपक्ष द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत अवैध कब्जा हटाये जाने के लिये एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/03-04 दर्ज कर दर्ज कर दिनांक 7-11-2008 को आदेश पारित कर अनावेदिका के आवेदन के आधार पर सीमांकन कर आवेदकगण द्वारा अनावेदिका के स्वत्व की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के आदेश दिये । तहसील न्यायालय के आदेशके विरूद्ध प्रथम अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29-1-2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 05-05-2010 को आदेश पारित कर अपील अमान्य की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

(1) सीमांकन प्रकरण 15/अ/12 सन् 2002-03 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2003 जो इस प्रकरण का मूल आधार है, के संबंध में न तो विधिवत् विचार ही किया गया है और न ही संबंधित प्रकरण का अवलोकन ही किया गया है। सीमांकन के संबंध में सही स्थिति की जानकारी हेतु संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है।

(2) जब सीमांकन की कार्यवाही अवैध होकर अनियमित है तब उसको आधार मानकर कार्यवाही की जाना न्यायोचित नहीं है।

(3) पूर्व में हुआ सीमांकन आदेश अधिकार रहित होकर शून्य एवं निष्प्रभावी है जिसे अपील निगरानी में चुनौती देना आवश्यक नहीं है तथा वह बंधनकारी प्रभाव भी नहीं रखता है, इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है।

(4) प्रकरण में धारा 250 भू-राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस धारा के आवश्यक तत्व न तो प्रकरण में उपलब्ध हैं और न ही सिद्ध किये गये हैं।

(5) न्यायहित में सीमांकन प्रकरण के अभिलेख को आहुत कर विवादित प्रश्न का निराकरण किया जाना चाहिए था।

(6) आवेदकगण को साक्ष्य प्रति साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का भी समुचित अवसर तहसील न्यायालय में नहीं मिला है।

(7) प्रतिवेदन कानूनन कोई साक्ष्य नहीं है तथा ऐसे प्रतिवेदन को आदेश का आधार नहीं बनाया जा सकता है जो प्रमाणित ही न किया गया हो।

(8) अपीलीय न्यायालयों ने अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं कर अवैधानिक आदेश पारित किये गये है।

(9) वर्तमान प्रकरण में समयावधि का प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। समयावधि को सिद्ध करने का भार अनावेदिका पर था, जिसे पूरा नहीं किया गया है।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में सीमांकन वर्ष 2003 में हुआ है, जो आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है । संहिता की धारा 250 का आवेदन वर्ष 2004 में समय सीमा में है । आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये तहसीलदार टिमरनी को अधीनस्थ न्यायालयके परिपालन में प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकपक्ष को दिलाये जाने की कार्यवाही हेतु भेजा है, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अत: इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-5-2010 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-5-2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्तकी जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर